पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालयः शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 09880595357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल	प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल	प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
(0141) 2785393, 09414023964	(0141) 2503159, 09414068780	(0824) 2476141, 09448503090	09868711893, 09414040403	(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र) 09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली) 09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड) (0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश) 09412169506

सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक) (080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश) (07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान) 09829234345
डॉ. प्रगनेश शाह (गुजरात) 09879567178

संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश शर्मा (दिल्ली) 09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश) 09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना) 09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली) 09868877699

कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान) 09460894708

आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश) 09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश) 09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान) 09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक) (080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश) 09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार) 09334306254

आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली) 09868900310
समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश) 09826187811

पत्रांक: प्रा.संवर्ग 1/वि.सं. 2072 दिनांक: 07-07-2015

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को प्रेषित

प्राथमिक शिक्षा : दृष्टिपत्र

शैक्षिक

1. **प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए** – बच्चा अपनी मातृभाषा में अधिक आसानी से सीखता है और इससे उसकी सृजन शक्ति में वृद्धि होती है। सहज भाव से बिना किसी अतिरिक्त दवाब के क्रियाशील रहता है।

2. **पाठ्यक्रम** – पाठ्य सामग्री पाठयक्रम की आत्मा है और छात्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसमें जीवनोपयोगी, संस्कृति के अनुरूप शिक्षा, स्थानीय शिक्षाप्रद रीतिरिवाज़ों की जानकारी, छोटी-2 बातों से स्वावलम्बन की शिक्षा, सरल भाषा में लघु कहानियों व कविता के माध्यम से आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों एवं विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा का समावेश हो। अध्ययन के विषय एवं सामग्री का सीमांकन कर बस्ते का बोझ कम हो सके ऐसा ध्यान में रहे।

3. **शिक्षण पद्धति** – निर्धारित पाठ्यक्रम का शिक्षण श्रेष्ठ पद्धति से ही होना छात्रहित में आवश्यक ही है। परन्तु स्थानीय परिवेश व दैनिक व्यवहार के उदाहरणों से शिक्षण रूचि कर एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। विषय के साथ छात्र को केन्द्र में रख शिक्षण पद्धति का चयन लाभकारी होगा।

4. **मूल्यांकन** – योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण व्यवस्था हो। स्तरीय शिक्षा छात्रों को प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है कि अनिवार्य उत्तीर्ण व्यवस्था समाप्त हो। व्यवहारिक ज्ञान को मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन में समाविष्ट करना भी हितकर होगा।

5. **छात्र शिक्षक अनुपात** – **R.T.E. Act 2009** में 30 :1 का प्रावधान है। परन्तु वास्तव में व्यवहार में ऐसा नही है। 55 छात्रों पर भी एक ही शिक्षक है जबकि यह अनुपात 30 :1 से भी कम होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं। उन्हें घरेलू वातावरण की विद्यालय में अनुभूति हो, इसके लिए शिक्षक का छात्रों से व्यक्तिगत एवं पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक है।

   जितनी कक्षाएं उतने न्यूनतम शिक्षक, प्रधानाध्यापक, एवं विशेष शिक्षक (शारीरिक, कला व संगीत) प्रारम्भिक शिक्षा में होने पर छात्रों के साथ न्याय हो सकेगा।

   साथ ही **R.T.E. Act 2009** के प्रावधानों को सुसंगत, व्यावहारिक एवं अत्यधिक उपयोगी बनाने हेतु उसके पुनरावलोकन की शीघ्र ही महती आवश्यकता है।

6. **शिक्षा संरचना सम्पूर्ण देश में एक समान हो** – सभी राज्यों में पहली से आठवी तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत हो तथा राज्य में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा शासित हो।

7. **अभियान नहीं पूर्ण योजना** – आज भी अनेकानेक अभियान शिक्षा जगत में चल रहे हैं उसके स्थान पर पूर्ण योजना लाभकारी है। वर्तमान में **SSA** आदि नामों से साक्षरता अभियान चल रहा है। प्राय: अभियानों में कार्यनिष्पादन हेतु बजट सत्र के अंत में आना और नियमित निरीक्षण के अभाव में अपेक्षित प्रतिफल नही मिल पाता है। उचित हो यदि पूर्ण योजना के अंतर्गत इफ्रास्ट्रक्चर एवं संसाधन विकसित कर प्रभावी शिक्षण दिया जा सकता है।

8. **शिक्षा में सभी पदों का कैडर हो** – सामान्यतया शिक्षा विभाग के कर्मियों को अन्य विभागों में लगा दिया जाता है जिससे मूल विभाग में पदरिक्त रहने से कार्य समय पर व गुणवत्ता पूर्ण नही हो पाता। अत: कैडर बने एवं कर्मी मूल विभाग में ही रहे।

लगातार.....2

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालयः शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 09880595357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल	प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल	प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
(0141) 2785393, 09414023964	(0141) 2503159, 09414068780	(0824) 2476141, 09448503090	09868711893, 09414040403	(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष

श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र) 09373302551

जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली) 09312115139

डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड) (0657) 2363028, 09431750251

डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश) 09412169506

सचिव

श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक) (080) 23466495, 09986832449

हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश) (07420) 255591, 09425973461

मोहन पुरोहित (राजस्थान) 09829234345

डॉ. प्रगनेश शाह (गुजरात) 09879567178

संयुक्त सचिव

डॉ. सुदेश शर्मा (दिल्ली) 09911381781

श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश) 09450488131

श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना) 09490149248

डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली) 09868877699

कोषाध्यक्ष

बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान) 09460894708

आंतरिक अंकेक्षक

पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश) 09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी

महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश) 09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान) 09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

एच. नागभूषण राव (कर्नाटक) (080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

विजय सिंह (मध्यप्रदेश) 09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार) 09334306254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान

जय भगवान गोयल (दिल्ली) 09868900310

समर्थ भारत

किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश) 09826187811

पत्रांक: प्रा.संवर्ग 1/वि.सं. 2072 दिनांक: 07-07-2015

9. **ठेका पद्धति समाप्त हो** – नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो, कठोरता से अतिशीघ्र यह व्यवस्था कर शिक्षामित्र, विद्यार्थीमित्र, कान्ट्रेक्ट टीचर जैसे विभिन्न नामों से अस्थायी नियुक्ति बंद हो।

10. **प्रशिक्षण व्यवस्था** – सभी शिक्षकों के लिए नवाचारों से परिपूर्ण प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था अवकाश के दिनों में हो। शाश्वत जीवन मूल्यों की कार्यशालाएं आयोजित करें जिससे शिक्षक अपने आचरण में मौलिक मूल्यों की वृद्धि कर सके और अपने अनुकरणीय आचरण से भावी पीढ़ी का यथोचित सर्वांगीण विकास कर सके।

11. **वन्दना सत्र प्रभावी हो** – विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की प्रतीमा के समक्ष सरस्वती वन्दना एवं अन्य प्रार्थनाएं मय साज़ के साथ सम्पन्न हों तथा प्रेरक प्रसंग, नैतिक मूल्यों से व राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत बोध कथाएं एवं सामान्य ज्ञान का समावेश कर प्रभावी वन्दना सभा का आयोजन हितकारी होगा।

12. **प्रारम्भिक शिक्षा में भी शोध के अवसरों की तलाश** – सामान्यतया ऐसी मान्यता है कि शोध और उसकी आवश्यकता उच्च शिक्षा में ही है। जबकि छात्रों की रूचि, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम स्तर आदि अन्य सम्बंधित विषयों को प्रारम्भिक शिक्षा के परिपेक्ष्य में ध्यान कर शोध के पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना भी हितकारी होगा।

प्रशासनिक

1. **प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियंत्रण हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो** – पिछले वर्षों में हर गली मौहल्ले में कुकर मुत्तों की तरह निजी विद्यालयों की बाढ़ सी आई है। और शिक्षा के बाजारीकरण की ओर बढ़ते कदम के कारण शिक्षा को धन कमाने का व्यवसाय बना लिया है। इन विद्यालयों का शिक्षा से कोई गंभीर सरोकार नही है। अतः छात्र एवं अभिभावक पूर्णतया निराश एवं असहाय हैं। विद्यालयों का संचालन, शुल्क का ढ़ांचा, वेतन निर्धारण, पाठ्यक्रम, अनावश्यक कारक उत्पन्न कर विभिन्न माध्यमों से अर्थप्राप्ति के तरीके से निजी प्रबन्धन की मनमानी का शिकार हैं। अतः शिक्षा बच सके, व्यवस्थित, नियमित एवं नियंत्रित हो सके उसके लिए स्वतंत्र एवं स्वायत्त नियामक आयोग की नितांत आवश्यकता है।

2. **शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखा जाय**– शिक्षकों को अनेकानेक गैर शैक्षिक (यथा, भवन निर्माण, बी.एल.ओ., जनगणना, पशु गणना, आर्थिक गणना आदि) कार्यों में लगाने से शिक्षण प्रभावित होता है। इस तरह छात्रों के हित को ध्यान में रखकर शिक्षकों से अन्यान्य कार्य न कराकर केवल और केवल शिक्षण कार्य ही कराया जाये।

3. **स्थायी एवं पारदर्शी स्थानान्तरण नीति** – स्थानीय राजनैतिक हस्तक्षेप से शिक्षक मानसिक रूप से तनावयुक्त रहता है फलतः अपनी क्षमता का उपयोग पूर्ण मनोयोग से नही कर पाता और शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः स्थानान्तरण नीति स्पष्ट एवं स्थायी हो ।

4. **मध्याह्न भोजन व्यवस्था** – शिक्षकों को केवल छात्रों के अनुशासन एवं व्यवस्था पक्ष को छोड़कर भोजन सम्बन्धी अन्य कार्यों से मुक्त रखा जाय।

5. **शिक्षा अधिकारियों की भूमिका** – शैक्षिक उन्नयन हेतु शिक्षाधिकारियों का चयन, प्रशिक्षण, लक्ष्य निर्धारण एवं समीक्षा हो। निरीक्षण में सुधारात्मक व सुझात्मक दृष्टिकोण एवं अभिप्रेरक की भूमिका में रहकर कार्यशील रहना हितकारी है।

लगातार.....3

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालयः शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 09880595357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल	प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल	प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
(0141) 2785393, 09414023964	(0141) 2503159, 09414068780	(0824) 2476141, 09448503090	09868711893, 09414040403	(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र) 09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली) 09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड) (0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश) 09412169506

सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक) (080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश) (07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान) 09829234345
डॉ. प्रगनेश शाह (गुजरात) 09879567178

संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश शर्मा (दिल्ली) 09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश) 09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना) 09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली) 09868877699

कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान) 09460894708

आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश) 09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश) 09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान) 09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक) (080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश) 09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार) 09334306254

आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली) 09868900310
समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश) 09826187811

पत्रांक: प्रा.संवर्ग 1/वि.सं. 2072 दिनांक: 07-07-2015

6. **अभिभावकों की भूमिका** – बच्चा अधिकांश समय घर पर रहता है अतः अभिभावकों की मासिक बैठक, प्रेरक कार्यक्रम, परिवार प्रबोधन कार्य, समारोह आदि की भूमिका निर्धारित कर शिक्षक अभिभावक एक दूसरे का सहयोग कर छात्र का सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जिसकी आज महती आवश्यकता है।

7. **शिक्षक सम्मान की उत्कृष्ट श्रेष्ठ परम्परा हो** – वर्तमान में सम्मान के लिए स्वयं को आवेदन करना होता है जो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। बल्कि शैक्षिक, सहशैक्षिक, विद्यालयीन शैक्षिक उन्नयन हेतु की गई गतिविधियों में योगदान आदि के आधार पर शिक्षाधिकारी पारदर्शी नीति से उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान की योजना बनाये तो अधिक उपयुक्त होगा।

8. **श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन कर उसे प्रोत्साहित करना** – स्कूलों के लिए उत्कृष्टता के कुछ मापदण्ड (यथा समय पालन, शिक्षा का स्तर, छात्रों की योग्यता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वातावरण आदि) तय कर उन पर खरे उतरे ऐसे विद्यालयों को जिला, तहसील तथा खण्ड स्तर पर श्रेष्ठ स्कूल का प्रतिवर्ष चयन कर प्रोत्साहित करने से स्कूलों के स्तर में उत्तरोत्तर विकास संभव है।

9. **कक्षा कक्ष एवं भौतिक संसाधनों हेतु कुछ प्रतिशत सांसद एवं विद्यायक निधि से निर्धारित हो** – मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। परन्तु समृद्धि व सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त एवं शिक्षण सामग्री से प्रयुक्त कक्षा कक्ष व अन्य संसाधन जरूरी है अतः इनके लिए सांसद व विधायक मद से कुछ राशि का प्रावधान विद्यालय हित में रहेगा।

10. **कम्प्यूटर शिक्षा का ज्ञान आज समय की मांग है उसे प्रोत्साहन मिले।**

11. **शिक्षकों की भर्त्ती प्रक्रिया** – साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में राजनैतिक हस्तक्षेप एवं अधिकारियों की मनमानी की संभावना बनी रह सकती है अतः योग्यतम शिक्षकों का चयन हो। लिखित परीक्षा को ही भर्ती का आधार बनाया जाय।

12. **विद्यालयों का वातावरण सुरम्य एवं शान्त हो जिससे पठन** – पाठन करना-कराना आनन्ददायी रहता है।

13. **मोबाइल टावर स्कूल के आस** – पास न हो यदि हैं तो उन्हें सहमति से हटवाना हितकर रहेगा।

14. **शराब एवं तम्बाकू तथा अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री स्कूल परिसर के आस** – पास नहीं हो, यदि है तो कठोरता पूर्वक हटवाना और पर्याप्त दूरी रखना छात्र हित में है।

15. **शिक्षा से सम्बंधित पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक बजट पूर्व, शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत संगठन एवं संस्थाओं से शिक्षा हित में वार्ता लाभदायक रहेगी।**

उपरोक्त कुछ तथ्य प्राथमिक शिक्षा के निमित्त आपकी सेवा में अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ सादर प्रेषित हैं। आशा है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ क्रियान्विति के लिए प्रयास अपेक्षित हैं।

सधन्यवाद।

H.S.

हिम्मत सिंह जैन
राष्ट्रीय सचिव (प्राथमिक)
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ